


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

संशोधन आदेश

विभाग द्वारा जारी प्रधानाध्यापक-मावि के स्थानान्तरण संबंधी आदेश में (कॉलम संख्या-02 में उल्लेखित आदेशों में) निम्नानुसार आंशिक संशोधन (कॉलम संख्या-04 में वर्णित अनुसार) एतद द्वारा जारी किया जाता है:-


क्र. सं	विभाग का आदेशांक व दिनांक	नाम कार्मिक मय पद एवं पदस्थापन स्थान	आंशिक संशोधन
1	2	3	4
1	शिविरा-माध्य/संस्था/बी-1/ 45001/प्र.अ.-स्थाना./2018 दिनांक 18.05.18	राधेश्याम मीणा प्रधानाध्यापक, रामावि समेल (I) लालसोट दौसा	आलोच्य आदेश दिनांक 18.05.18 मे क्र.सं 88 पर अंकित कार्मिक का नाम राधेश्याम सैनी के स्थान पर राधेश्याम मीणा तथा वर्तमान पदस्थापन स्थान राउमावि समेल हृदायली लालसोट दौसा के स्थान पर रामावि समेल (I), लालसोट दौसा पढा जावे। उक्त कार्मिक को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर
दि 02-05-18

क्रमांक :: शिविरा/मा/संस्था/बी-1/45001/प्रअ-स्था/2018

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही, पालनार्थ प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) राजस्थान सरकार जयपुर
- 2 शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान-जयपुर
- 3 सम्बन्धित शिक्षा उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा।
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा (प्रथम/द्वितीय)
- 5 सम्बन्धित संस्था प्रधान को पाबन्द किया जाता है कि कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण शालादर्पण के माध्यम से ही करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
- 6 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर-कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाने हेतु।
- 7 सम्बन्धित संस्था प्रधान/सम्बन्धित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।
- 8 गार्ड पंजिका/रक्षित पत्रावली हेतु।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)